Haryana Vidhan Sabha

Debates

30th March, 1967

(Second Sitting)

Vol. I—9

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 30th March, 1967 (Second Sitting)

	Page
Motion under Rule 16	(9)1
Bill-	
The Haryana Appropriation	
(Vote-on-Account),—1967	(9)4—7

Haryana Vidhan Sabha

Thursday, the 30th March, 1967 (2nd sitting)

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana vidhan Sabha, Vidhan Bhawan Sector-1, Chandigarh at 2-30 P.M. of the Clock Mr. Speaker (Ch. Shri Chand) in Chair

MOTION UNDER RULE 16

Revenue Minster (Sh. Chand Ram): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine die.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this da shall stand adjourned die.

चौधरी रिजक राम (राए): स्पीकर साहिब, यह जो मोषन गवर्नमैंअ की तरफ से पेश की गई है। मै इस का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे ख्याल में पालियामेंट्री हिस्ट्री में यह अपनी पहली किस्म की मोशन है। गवर्नर साहिब ने कांनस्टीटयूशन के तहत सदन को एड्रेस किया लेकिन उस एड्रेस को डिस्कस किए बगैर और उस पर वोट आफ थैक्स पेश किए बगैर आज गवनमेंट की तौ ये यह तजवीज आ गई कि हाउस साइन डाई ऐडजर्न कर

दिया जाए। यह ठीक है कि जब गवर्नर साहिब ने हाउस को ऐड्रेस किया था, तब गवनमेंट दूसरी थी लेकिन इससे कोई फर्म नही पड़ता क्योंकि यह तो एक कांन्सअीटयूशनल कनवैनशन थी जा फालों की गई ओर उसे मुताबिक हाउस के सामन `वोट आफ थैक्स का प्रस्ताव आना चाहिए था, बहस होनी चाहिए थी और रूल्ज के मुताबिक यह वोट आफ थैक्स उनको कन्वे भी करना चाहिए था। इसके अलावा अभी फिनांस मिनिस्टर साहिब ने बजट सपीच के दौरान कुद कनसैशनज अनाउंस किए। लैड रैवन्यू वगैरह के बारें में उसके मुताल्लिक भी हाउस में लैजिस्लेशन आ सकती है ओर हाउस चल सकता हेा, साइने डाई एडजर्न करने की जरूरत नही है। फिर हाउस चल सकता है, साइने डाई एडजर्न करने की जरूरत नही। फिर हाउस इस तरह एडजर्न कर दिया जाए। स्पीकर साहिब, आपके द्वारा मै आपोजीशन की तरफ से फिर गवर्नमैंट से कहना चाहता हूं कि अगर उनकों कोई खतरा इस किस्म का है कि हम गवर्नमैंट में कोई उथल पुथल करने में इन्टरैस्टिड है तो यह खतरा उनहें अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अभी स्पीकर साहिबा का इलैक्शन हुआ उसमें इन्हों ने हमारे रवैइए और विचारधारा का अन्दाज लगा लिया होगा। तो मै अर्ज करता हूं कि यह गवर्नमैंअ को चलाए ओर खुले दिल से चलाए। यह तरीकाकार कि गवर्नर साहिब के एड्रैस को छोड़ा जो कनसैशनज अनाउंस किए थे उनके लजिस्लेशन को छोड़ा और नान आफीशल डे जो आज था उसे लेकर दो सिटिग्ज रखी और जल्दी से जल्दी हाउस खत्म कर के मैम्बरान से छुटकारा पाने के

लिए यह मोशन ल आना कोई वाजब बात नही। अब तो स्पीकर साहिब आप नान पार्टीमेन है और आप के नोटिस में भी शायद यह बात होगी की पिछले दो तीन रोज से पता नही किस खतरा के पेशेनजर मैबराबन की पिजौर मे ले जाकर रख रहे है (हंसी) मुझे तो यह भी पता लगा है कि बड़ी बड़ी दावते और जयाफते उन्हें वहां ले जाकर दी जा रही है ताकि वह मैम्ब्र कम से कम इस सैशन के दौरान इस गवर्नमेंट की चला दे। मै आप से अर्ज करना चाहता हूंकि आप कभी जरा देखे कि यह मोशन पालियामैट्री में अपनी किस्म की पहली मोशन है जो पहले कही देखी सुनी नही होगी। मै पूछता हूं कि अभी तो पांच सात रोज ही सैशन चला है जल्दी क्या पड़ी है कि एडजर्न हो जाए। गवर्नर साहिब ने जो विधान के तहत हाउस के एड्रेस किया है उसके लिए वोट आफ थैक्स उन्हे देना चाहिए ओर मै समझता हूं कि ऐसा न करना कान्स्टीटयूशन के उस प्रोवीजन की जिस के तहत हाउस को एड्रैस किया उलंघना है। स्पीकर साहिब, आपका इलैक्शन पहले नही हा कसता लेकिन मै आपकी मारफत आपोजीशन की तरफ से शिकायत करनाचाहता हूं कि किसी बात पर आपोजीशन को कन्सल्ट नही किया गया ओर यह पहली मिसाल है कि सारा सैशन खत्म होने लगा है लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने आपोजीशन को कन्सल्ट नही किया कि क्या लिस्ट आफ विजनैस हो, क्या एजेडा आए, कितनी सिटिग्ज की जाए और कैसे यहां हाउस के विजनैस टेक अप की जाए। अब आप आए है तो आप की अपनी इस बारें मे जिममेदारी है कि आप कोई बेकायदगी न होने दे जो

गवर्नमैंट करना चाहती है कि जिससे उसकी जान बची रहे। मुझे उम्मीद है आप पालियामैट्री कायदे कानून की हिफाजत करेंगे ओर इस मोशन की इजाजत नही देगे तो मै इस मोशन का विरोध करता हूं और गुजरिश भी करता हूं इन बजीर साहिबान से कि वह इस मोशन को वापस ले ओर कायंदे कानून के मुताबिक हाउस की कार्यवाही चलने दे।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहिब, अभी हाउस के सामने.एक मोशन आई कि आज की कार्यवाही के बाद सदन उठ जाए और उसका विरोध करने के लि कांग्रेस के होने वाले लीडर जो अब डिप्टी लीडर है खड़े हुए और उसे साथ साथ उन्होने यह गिला भी किया कि यहां पर बड़ी हेस्ट हो रही है और उनके सलाह मश्विरे से काम नही चल रहा है। इसके साथ उन्होने यह भी कहा कि पता नही क्या खतरा है कि बड़े बड़े भोज दिए गए हैं तो स्पीकर सहिब, जहां तक रूल्ज और कायदे का सम्बन्ध है में आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यहां कोई ऐसी बात नही हुई जो रूलज के खिलाफ हो। जब पांच साल 1957 से 1962 तक चौधरी साहब हाउस में नही थे तो अपोजीशष्न के जो लीडर है उनके जो राजनैतिक गुरू थे तह हम यह बात कहते थे तो वह हमेशा कहा करते थे कि कोई गलत बात नही हो रही है। रूल्ज क्या होते है। यह जो भोज की बात की गई तो मै कहना चाहता हूं कि जब मित्र मिल कर बैठा करतेहै ते भोजं भी कर लेते है। आपकों भी भोज दें देगे और आज शाम आपको दे भी रखा है। इनकी अपने

बारें में कोई खतरा हो तो मै कह नही सकता लेकिन हमें कोई खतरा नही हैं भोज लेने की बात करते है तो हम माउट आबू या आगरा वगैरा नही गए हम तो होस्टल मेंही बैठे रहे। यह ठीक है कि हम दनके पुराने रास्ते पर नही चल पाए। खैर मै यही कहना चाहता हूं कि यह मोशन पास होनी चाहिए और आज कार्यवाही के बाद सदन उठ जाना चाहिए।

माल मंत्री (श्री चांद राम) : स्पीकर साहिब, वैसे तो मेरे साथी डाक्टर मंगल सैन ने चौधरी साहिब हा जवाब दे दिया है लेकि सबसे बड़ी हैरानी मुझ इस बात की हुई कि उन्होने कहा कि गवर्नमैंट को डर है। मै समझ नही पाया कि हमें किस बात का डर है। इस हाउस में कई बार वोटिग हा कवक आया और हम तैयार रहें इस बात के लिए कि वह अपनी और हमारी ताकत का मवाजाना करें आज भी.....

चौधरी रिजक रामः कोई दिन रख ले।

माल मंत्रीः कोई 16/17 इन्डीपैडैट मैम्बर इस हाउस में आए। आम तौर पर समझा जाता रहा है कि इन्डीपैडैट तो बिकाऊ माल होता हे। लेकिन उन्हें कई किस्म के झांसे दिए गए, वजारत लालच, रूपए पैसे के लालच और मुकद्दमों वगैरा के डर दिखाए गए लेकिन यह संयुक्त दल में ही रहें (प्रशंसा) यहा तो आपको खाम ख्याली हुई कि हमें डर है। अभी बहुंत वक्त आएगा ताकत का मुकाबला करने के लिए। बाकी जब आपकी गवर्नमैंट थी तो

जो एजैडा हमें मिला उसके मुताबिक हाउस 31 मार्च तक ही चलना था और हम भी उसके मुताबिक ही आज दो सिटिगज करके 31 मार्च को हाउस एडर्जन कर रहे है। जो अखबारात में लिकना उसमें भी आपने 31 तारीख को हाउस खत्म करना था और जो हमने दो सीटिग को इससे हमन महज एक बचत की है। गवर्नर एड्र की जो बा जै इसे हम स्टडी करवा रहे है और जो बात होगकी उसकें हम हाउस के सामने ले आएंगे वैसे तो मुझ याद है कि एक बार पैप्सू में ऐसा हुआ था कि बीच में सरकार बदल गई थी और गवर्नर एडैस पर बहस नही हुई थी लेकिन बावजूद इस बात के इस बात को स्टडी करवा रहे है और हाउस को सूचित करेंगे। जहां तक है डर की बात, डर तो हमें कोई है नही और अगर आप मुकाबला करना चाहे तो उस वक्त मुकाबला फिर कर लेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि इस मोशन को पास कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्षः चौधरी रिजक राम जी जाआ आप रूल्ज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल ने 19 का मुलाहिजा करें। इसमें गवर्नर के एड्रै को डिसकस करने के लिए कोई खास टाइम नही दिया हुआ है। इसमें लिखा हैः—

The speaker is consulation with the Leader of the Assembly shall allot time for the discussion of matters referred to in the Governor's special address".

तौ मैने उनसे कर लिया है। वह कहते है कि जब स्टडी के बाद फेसला हो जाएगा तो इसे दूसरे सैशन में डिस्कस कर लेगे। इसमें ऐसी बात नही कि गवर्नर के असैम्बली को एड्रैस करने के बाद ही उनके एड्रैस को डिसकस किया जाए। तो इसलिए मै चाहता हूं कि इस में बहस की लम्बी चौड़ी बात नही

So I put the Motion. Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine die.

THE HARYANA APPROPRIATION (VOTEON ACCOUNT, BILL, 1967

Finance Minister (Sh. Mool Chand Jain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (Vote on Account) Bill.

Finance Minister: Sir, I beg to move—

That the Haryana Appropriation (Vote on Account) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana appropriation (Vote on account) Bill be taken into consideration at once.

श्री दया कृष्ण (जींद): जनाब स्पीकर साहिब, इस बिल के मुतालिक मेरा यह इतराज है कि यह बिल कंस्टीच्यूशन के खिलाफ है क्योंकि आप देखेगे कि वोट आन अकाउंट फार दी

एक्सपैडिच्र 1967–68 का यह जो बिल पास हुआ वह अप्रैल, मई और जुन, 1967ण के लए पास किया है और हय जो पास हुआ था इस में थाः "In pursuance of article 206 of the consitution of India the Haryana Legislative Assembly i requested to vote three months supply for the months of April, May and June, 1967.....इसका मतलब यह है कि हम जो इस बिल को पास कर रहे है यह दफा 206 का मुलाहिजा करें और उसके बाद आप को पता लगेा कि यह अल्टरा वायरस है। मुझे खुशी है कि हमारे स्पीकर साहिब भी और फाइनैस मिनिस्टर साहिब भी दोनों लायर है और ला को अच्छी तरह समझते है और मै उम्मीद करता हूं कि अगर इसमें कोई गलती हो तो उसको देखकरर ठीक करेंगे। तो आर्टिल 205 है।

'towards defraying the several charges which will come in course of payment during the finacial Year, 1967-68". तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इससे इसका मतलब खत हो जाता है मै दोहरा कर कहता हूं कि एक्सपैडिचर होगा फार–ए–पार्ट आफ ऐनी फाईनैशल इयर, तो जो पीछे हमने पास किया है वोट आन अकांऊट वह तीन महीनों के लिए पास किया है लेकिन जो बिल आपके सामने है इसका आप मुलाहिजा फरमाये। इसकी क्लाज दो है। इनका कपा करके मुलाहिज फरमाये और खास कर इसकी दूसरी लाइन देखे। यह बिल हाउस के सामने है और सफेदा कागज पर है। उसकी आखिरी लाईनों ये है::

"towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year, 1967-68."

इसका मतलब यह है कि इस बिल के अन्दर हम जो एक्सपैडिचर दे रहे है। वह 67–68 के तमाम साल के मुताल्लिक दे रहे है। पार्ट आफ दी इयर के लिए नही दे रहे है और इस आर्टिकल 206 के तहत सिर्फ हम जो है पार्ट आफ दी इयर के लिए ही एक्सपैडिचर दे रहे हे। इसलिए जो बिल हमारे सामने है वह अल्टरा वायरस है और कंस्टीच्यूशन के खिलाफ है। मैने इसके मुताल्लिक अमैडमैंट भी दफ्तर में दी ाी और यह भी उम्मीद थी कि वह अमैडमैट मंजूर होगी लेकिन अब पता लगा कि आफिस वालें ने बगैर सोचे समझे, जो अमैण्डमैंट ठीक थी उसकों भी गलत करार देकर नामंजूर कर दिया है। मेरा ख्याल है। उन्हो ऐसा आर्टिकल 204 के तहत किया है। जो कि इस पर अप्लाई नही करता। आर्टिकल 204 इस प्रकार है:–

"No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the consolidated fund of the state and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inammissible under this clause shall be final."

तो यह अमैडमैट मेरी इसी बात को जाहिर करने के लिए थी कि वह एक्सपैडिचर सिर्फ तीन महीनों के लिए है। तो

स्पीकर साहिब आप से मेरी गुजारिश है कि जब एक मैम्बर उस पर गौर कर सके और यदि ठीक हो तो पास हो सके। यह माना कि सब अमैडमैट्स ठीक नही हो सकती लेकिन कम से कम मैम्बरान को यह हक होना चाहिए कि उनको अमैडमेंटस हाउस में आए और उन पर विचार हो। दूसरी बात, स्पीकर सहिब, मै अर्ज करना चहाता हूं कि हम केवल पार्ट आफ दी इयर के लिए खर्च मन्जूर कर सकते है। सारे साल के लिए नही। इसलिए यह बिल फेल होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः देखिए इसमें थोड़ी सी मिस अंडरस्टैडिंग आपकों है यदि आप इसको पढ़े तो यह बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा। यदि प्रीएम्बल आप देख लो तो इससे आपकी मिस अंडरस्टैडिंग दूर हो जाएगी। इसमें हैः–

"A bil to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Haryana for the services of a part of the Finacial year 1967-68."

तो बात हय है कि इसमें आपको कुछ गल्तफहमी हो गई है। कि शायद यह साल भर का पास हो रहा है। ऐसी बात नही और इसलिए मैने आपकी अमैडमैंट नामंजूर की है।

श्री दया कृष्णः इसके जवाब में मै यह अर्ज केरता हूं कि जो तीन महीने के लिए था वह तो हम पास कर चुके है यानि जो वोट आन एकाउंट है वह पास हो चुका है लेकिन मै समझता

हूं कि इस बिल में यह गल्ती हे। और मुझे इस बिल पर एतराज है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है–

"Preamble—A bill to provide for the withdrawal of certain sums form and out of the consolidate fund of the state of Haryana for the services of a part of the finacial year 1967-68."

अध्यक्षः यह जो लिखा है यह ठीक है आप प्रीएम्बल को देखे इसमें लिखा है–that Preamble covers the whole bill.

Sh. Daya Krishan: Waht is part of the financial year. should have bee clearly started on the Bill. The part of the year in question cound be specified in months which has not been done.

Mr. Speaker: But he mont is question pertains-to a particular period of the year. जो प्रीएम्बल होता है वह पार्ट आफ दी बिल होता है उसमें जो नोट है that is absolutelyu clear और जा पास करवाया है वह तीन महीने के लिए है। यह तो साफ बाज हजै इसमें कोई गलतफहमी नही है। और न ही इसमे कोई गलतफहमी की गुजायश ही है।

श्री दया कृष्णः कौनसा नोट आप कह रहे है?

श्री अध्यक्षः स्अेटमेंट आफ अबजैक्ट्स एण्ड रीजनज जो है उसमें है। आप बिल्कुल तसल्ली रखें यह सिर्फ तीन महीने के लिए ही है और सारे साल के लिए नही है।

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहिब, आप किसको मानेंगे जब कनफिल्क्ट हो एक डेफेनिट क्लाज में और प्रीएम्बल में? क्या आप प्रीएम्बल को मानेगे और क्लाज को नही मानेगे?

Mr.Speaker: The whole act i covered by the preamble. Every clause of the Bill will be interpreted according to the Preamble.

श्री दया कृष्णः मेरी तो सिर्फ गुजारिश यह है कि यह बिल कन्स्टीच्यूशन के अल्टरा वायरस है और इस हाउस में पास नही हो सकता है वैसे आप की मर्जी है जैसा चाहे आप कर ले।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (Vote on Account) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

CLAUSE NO. 2

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSE NO. 3

Mr. Speaker: Question is-

That schedule stand part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker: Question is-

That title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Finance Minster (Sh. Mool Chand Jain): Sir, I bet to move—

That the Haryana Appropriation (Vote on Account Bill, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (Vote on Account) Bill, be passed.

Mr. Speaker: The House now stands adjourned sine die.

(The Sabha then adjourned sine die.)